A1 2018/00016

निर्णय 8/2/18

न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर, जिला बीकानेर

सरकार .... बनाम श्री हरमानराम S/o रामूराम स्वामी M.के.

किस्म मुकदमा — ~~आर.सी.ए. 1954 की धारा 22~~
एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 91

मुकदमा नम्बर 08/18 वर्ष 2018 फसल खरीफ

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश को नीम
22/1/18	पटवारी हल्का सुई की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने ग्राम/~~चक~~ सुई म.21212 के खसरा नं./~~मु.नं.मै.~~ 170 .... तादादी 0.04 बीघा राजकीय भूमि पर सम्वत 2074 में नाजायज कब्जा कर ~~काश्त-चर~~ बाड़ा ली। अप्रार्थी को धारा 22/91 के तहत नोटिस जारी किया जावे ~~एवं भू अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्कनार~~ नीलाम हेतु लिखा जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/2/18 को पेश हो।	नो.मु.प्राप्त 09 22-1-18
8/2/18	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी गैर हाजिर उपस्थित। हल्का पटवारी द्वारा पेश किये गये जवाब को अवलोकन किया गया, उसे पत्रावली निर्णय हेतु रिकार्ड शामिल किया गया।	हस्ताक्षर नायब... सोमदत्त

व रजिस्टर के क्रं 109 क्रमांक 08 पर भोग कायम की जावी
TPA
12/4/18

Scanned by CamScanner

नायब
न्यायालय तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर

प्रकरण संख्या: 08 / 2018 दिनांक: 8/2/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का .... ने रिपोर्ट (पी–4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल .... पुत्र .... जाति .... साकिन .... ने ग्राम .... के खसरा नं0 170 रकबा 0.04 बीघा जोहड़ पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में काश्त / बाड़ा / कच्चा / पक्का मकान निमार्ण कर नाजायज अतिकमण किया है।

सम्बधिंत गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबधिंत गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बधिंत गैर सायल .... पुत्र श्री .... जाति .... साकिन .... ग्राम .... खसरा नं0 170 रकबा 0.04 .... बीघा के अतिचार करने पर राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू–राजस्व 0.10 का 50 गुणा रूपये 05/- शास्ति से दण्डित किया जाता हैं। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली बाबत संबधिंत गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बाबत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बाबत डी.आर.ए शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 .... को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner